राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
भाषा विभाग (उर्दू सैल), सी– विंग, सातवां तल,
दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–2. दूरभाष संख्या 23392348

सं0फा0 2(02)/2011–12–भाषा/3059–3073 दिनांक: 28/10/11

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष समस्त अधीनस्थ, स्वायत्त संस्थाएं, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र।
3. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, सिविक सैंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली।
4. विशेष कार्याधिकारी, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली।
5. महाप्रबंधक, दिल्ली परिवहन निगम (मुख्यालय), इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
6. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई0एन0ए0, नई दिल्ली।
7. विभागाध्यक्ष, दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला रोड, नई दिल्ली।
8. निदेशक (प्र0 एवं का0), दिल्ली जल बोर्ड, झंडेवालान, नई दिल्ली।
9. उप–सचिव, दिल्ली विधानसभा सचिवालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
10. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, 12वां तल, एम0एस0ओ0 बिल्डिंग, आई0पी0 इस्टेट, नई दिल्ली–2
11. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) दिल्ली पुलिस, मुख्यालय, आई0पी0 इस्टेट, नई दिल्ली–2
12. अतिरिक्त उपायुक्त (भाषा), राजभाषा अनुभाग, सिविक सैंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली।
13. प्रधानचार्य, तीब्बया कालेज, अजमल खां रोड, नई दिल्ली–5
14. सी0ई0ओ0, दिल्ली वक्फ बोर्ड, दरियागंज, नई दिल्ली–2
15. सी0ई0ओ0, दिल्ली स्टेट हज कमेटी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–2

विषयः **सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए उर्दू सर्टिफिकेट एवं एडवांस उर्दू कक्षाओं का गठन।**

महोदय,

उर्दू सैल भाषा विभाग की उर्दू प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार और समस्त अधीनस्थ, स्वायत्त संस्थाओं, स्थानीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये छःमाह की उर्दू सर्टिफिकेट कक्षा एवं एडवांस उर्दू कक्षा का गठन किया जाना है।

1	**सर्टिफिकेट कक्षा में ऐसे अधिकारी, कर्मचारी भाग ले सकते हैं जो उर्दू भाषा लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं और इसे सीखने के इच्छुक हैं।**
2	**एडवांस कक्षा में वह अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं जो इस विभाग की सर्टिफिकेट कक्षा पास कर चुके हों या इसके सम्कक्ष उर्दू भाषा लिखना पढ़ना जानते हों।**

यह कक्षाएं सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुद्धवार एवं शुक्रवार को शाम 5.00बजे से 6.00बजे तक आयोजित होंगी। कक्षा में भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, यात्रा भत्ता सहायता राशि (**Rs. 100/-** प्रति माह) और प्राप्तांक के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं पांच प्रोत्साहन पुरस्कार (**Rs.2100/-, 1500/-, 1100/-, 500/-**) मैडल और प्रमाण पत्र दिये जाएंगे।

आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग/कार्यालय और इसके अधीन सभी इकाईयों के अधिकारियों/कर्मचारियों को इस की जानकारी दें और कक्षा में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पदनाम तथा कार्यालय एवं निवास का पूरा पता दूरभाष संख्या सहित इस विभाग को **30.11.2011** तक भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय

आरफ़ी 27/10/2011

(अश्फ़ाक़ अहमद आरफ़ी)
उर्दू अधिकारी
दिनांकः

सं0फा0 2(02)/2011–12/भाषा/3059–3073

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रसारितः–

1. सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
4. सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा), दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सचिवालय के समस्त विभागाध्यक्ष।

आरफ़ी 27/10/2011

(अश्फ़ाक़ अहमद आरफ़ी)
उर्दू अधिकारी